संख्या-232 /2020/ 1124(क) /पॉच-6-2020-16(बजट)/18

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक :17 अक्टूबर, 2020

विषय-: चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5फ/बजट/2020-21/25, दिनांक 23.04.2020 एवं पत्र संख्या-5फ/बजट/2020-21/806, दिनांक 29.07.2020 तथा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-202/2020/1124/पॉच-6-2020-16(बजट)/18 दिनांक 07.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 07.09.2020 द्वारा अन्य के अतिरिक्त श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर को अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि रू. 40.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू.20.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर हेतु प्राविधानित धनराशि रू.40.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश संख्या-202/2020/1124/पॉच-6-2020-16(बजट)/18 दिनांक 07.09.2020 में निहित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) विभागाध्यक्ष द्वारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर को चालू वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण /व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की "अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)-राजस्व लेखा 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-800-अन्य व्यय 03 चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान 0326-श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-846/दस-2020, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल

उप सचिव।

<u>संख्या-232/2020/1124(क) (1)/पॉच-6-2020, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार (लेखा – परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

(3) मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार, गोरखपुर।

(5) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

(6) सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।

(8) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ0प्र0 शासन।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल

उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।